राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/2015/1681 दिनांकः– 30/3/18

कार्यालय आदेश

मण्डल में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत विभिन्न आय़ वर्गों हेतु नवीन पंजीकरण योजनाऐं ऑनलाईन प्रारम्भ की गई है। मण्डल में स्ववित्त पोषित योजना में आदेश क्रमांक मुसप्र/2009/481 दिनांक 29.06.2009 अनुसार आवास/फ्लेट की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत राशि पंजीकरण के रूप में जमा करवाने का प्रावधान है।

चूँकि मण्डल में नवीन पंजीकरण योजनाऐं ऑनलाईन प्रारम्भ की गई है जिसमें 5.00 लाख रूपये से ज्यादा राशि रिजर्व बैंक के नियमानुसार वर्तमान में जमा होने का प्रावधान नहीं है। जिससे अनेक सम्भावित आवेदक आवास/फ्लेट पंजीकरण से वंचित रह जाते है, साथ ही मण्डल को राजस्व की हानि भी होती है।

अतः ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित योजना में जिनमें पंजीकरण राशि मय प्रोसेसिंग राशि के 5.00 लाख रू. से अधिक है, उन आवेदकों को पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ पंजीयन राशि + प्रोसेसिंग चार्जेज सहित 5.00 लाख तक की राशि जमा करवाने की सूविधा एतद् द्वारा प्रदान की जाती है तथा शेष पंजीकरण राशि जो कि 5.00 लाख से ज्यादा होगी आरक्षण पत्र में प्रथम किस्त के साथ जमा करवानी होगी।

उक्त आदेश संचालन मण्डल के अनुमोदन की पूर्व अपेक्षा में जारी किये जाते है, तथा माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त है।

(आनन्द कुमार)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता(मु0), प्रथम /द्वितीय/ निदेशक(विधि)/मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रथम/द्वितीय,/पी.एण्ड.एम/अति0 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त..............राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड.............. राजस्थान आवासन मण्डल................।
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड़ व सभी को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र (मु.) राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक